# नैतिकता आचरण का प्रतिबिम्ब है, नीतियों का नहीं

विषय बहुत जटिल है, गम्भीर है, अप्रिय है किन्तु सरसठ वर्षों से निरन्तर जारी भ्रम और भ्रम के परिणाम स्वरुप बढ़े चरित्र पतन की चिन्ता मजबूर करती है कि इस विषय पर चिन्तन किया जाए।

मेरे मित्र और गम्भीर लेखक वेद प्रताप वैदिक ने श्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करके मेरी मजबूरी और अधिक बढ़ा दी है। मैं श्री नरेन्द्र मोदी का अन्ध समर्थक हूॅ तथा श्री अरविन्द केजरीवाल का लम्बे समय तक सलाहकार रहा हूॅ। मैं समझता हूॅ कि श्री केजरीवाल ने कई बार कहने के बाद भी मेरी यह सलाह नहीं मानी कि नैतिकता आचरण का विषय है, घोषणाओं का नहीं। नीतियां घोषणा की आवश्यकता महसूस करती हैं। केजरीवाल जी नैतिकता की बड़ी–बड़ी घोषणाओं के दुष्प्रभाव के परिणाम देख चुके हैं। दूसरी ओर नरेन्द्र मोदी से मेरा कभी पूर्व में अथवा अब भी कोई सम्पर्क नहीं रहा। फिर भी नरेन्द्र मोदी बिना किसी प्रकार की गलती के यदि वैदिक जी सरीखे विद्वान की आलोचना झेल रहे हैं तो इसमें वैदिक जी की कम और मोदी जी की भूल अधिक है।

मैं पिछले साठ वर्षों से महत्वपूर्ण सामाजिक पदों पर रहा। मैंने साठ वर्ष पूर्व से लगातार लिखकर और बोलकर घोषित किया कि मैं दो नम्बर का व्यक्ति हूॅ। पॉच प्रकार के तीन नम्बर घोषित कार्य (1) चोरी, डकैती (2) बलात्कार (3) मिलावट कमतौल (4) जालसाजी, धोखाधड़ी (5) हिंसा बलप्रयोग, जैसे अपराध न करुॅगा न किसी को सलाह दूॅगा, किन्तु अन्य दो नम्बर के कार्य, ब्लैक, तस्करी, वैश्यागमन, नशाखोरी, न्यायालय, पुलिस आदि सरकारी विभागों में असत्य का सहारा लेना, घूस देना आदि कार्य मेरे व्यक्तिगत आचरण के विषय हैं जिनका पालन करने न करने के लिए मैं कानूनी रुप से बाध्य हूॅ, नैतिक रुप से बाध्य नहीं हूॅ। यहॉ तक कि मुझे ऐसी घोषणा के परिणाम स्वरुप लगभग पचास वर्ष तक मीडिया तथा कुछ अन्य चरित्र प्रधान लोगों के आक्रमण का शिकार रहना पड़ा किन्तु मैंने अपना नीतिगत निर्णय नहीं बदला, भाजपा के उच्चदायित्व के बाद भी नहीं। दो बार नगरपालिका के निर्वाचित अध्यक्ष रहने के बाद भी नहीं। परिणाम मैं स्पष्ट देख रहा हूॅ कि हमारे शहर और आस–पास के लोग सर्वसम्मति से मुझे एक ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति मानते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में आचरण और नीतियों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा बना कर रखी। मैंने जब वर्षों पूर्व आचार्य पंकज जी को बताया कि मैं न्यायालय, पुलिस या अन्य सरकारी विभागों में झूठ बोलने से परहेज नहीं करता, चुनावों में मतदाताओं को शराब या पैसा देने को गलत नहीं मानता, समाज में आवश्यकतानुसार सत्य को छिपा सकता हूॅ किन्तु असत्य नहीं बोलूॅगा, तो आचार्य जी को मेरा यह कथन ठीक नहीं लगा। किन्तु मैंने तो वही कहा जो मेरी नीति है। उनके प्रति प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि मैं चरित्र के अतिउच्च मापदण्डों की घोषणा नहीं करुॅगा जो मेरी नीतियों से मेल नहीं खातीं। मैं एक–दो नम्बर का व्यक्ति हूॅ। मैं अपने को न एक नम्बर का मानता हूॅ न कहता हूॅ।

नरेन्द्र मोदी एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री मात्र हैं, कोई तानाशाह नहीं। मनमोहन सिंह जी ने कभी यह भूलकर भी नहीं कहा कि न खाउॅगा न खाने दूॅगा क्योंकि न खाउॅगा, आपके व्यक्तिगत आचरण का विषय है और आपके आचरण से प्रमाणित हो जाएगा। न खाने दूॅगा यह आपके हाथ में नहीं क्योंकि लोकतंत्र में विधायिका नीति निर्माण तक सीमित होती हैं। कार्यपालिका एक स्वतंत्र इकाई है जो नीतियों के अनुसार आचरण करती है। वास्तव में मोदी जी को ''न खाउॅगा न खाने दूॅगा'' कि जगह मात्र इतना आश्वासन देना चाहिए था कि मेरी सरकार ऐसी नीतियॉ बनाएगी जिसके परिणाम स्वरुप भ्रष्ट्राचार अपने आप खत्म हो जाएगा। आप यह कैसे घोषित कर सकते हैं कि आतंकवाद को समाप्त कर दूॅगा क्योंकि आतंकवाद को समाप्त करना आपके बस की बात नहीं। आप तो नीतियां बना सकते हैं जिसके परिपालन में आतंकवाद खत्म हो जाएगा।

वैदिक जी ने जो प्रश्न उठाया है वह प्रश्न बहुतों के दिमाग में है। भाजपा यह कह रही है कि कांग्रेस पार्टी संसद में या उसके बाहर गलत आचरण प्रस्तुत कर रही है। प्रश्न उठता है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भाजपा ने विपक्ष के रुप में जैसा आचरण किया, कांग्रेस उससे कुछ कम गलत आचरण कर रही है, अधिक नहीं। भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास हो गया है कि विपक्ष में रहकर संसद न चलने देना या सड़को पर प्रदर्शनों की झड़ी लगा देना ही, उसके सत्ता में आने का आधार है तो आज कांग्रेस भी हर छोटे–बड़े मामले में उसी आचरण को सत्ता में आने के आधार बना रही है। आज भी दिल्ली में भाजपा लगातार प्रतिदिन प्रदर्शन या विधान सभा में असभ्य आचरण को अस्वीकार कहा कर रही है। सच बात तो यह है कि नरेन्द्र मोदी का गुजरात का आचरण यदि साथ नहीं

जुड़ता तो भाजपा अब भी विपक्ष में ही नजर आती। फूहड़ आचरण तात्कालिक लाभ दे सकते हैं किन्तु दीर्घकालिक हानि ही पहुँचाते हैं।

एन्डरसन भारत से गया और कांग्रेस सरकार ने उसे जाने दिया। उसमें गलत क्या था? भोपाल गैस दुर्घटना कोई अपराध न होकर दुर्घटना थी जिसमें आप लापरवाही का ही दण्ड दे सकते हैं। किन्तु घटना के समय एन्डरसन विदेश में थे और भारत सरकार के आश्वासन के बाद ही अल्पकाल के लिए भारत आए थे। हाफिज सईद जैसे अपराधियों को परिस्थिति अनुसार आप पाकिस्तान जाने की छूट दे सकते हैं और एन्डरसन की लापरवाही से हुई भयंकर दुघर्टना के अपराधी को अपने दिए आश्वासन से बुलाकर गिरफ्तार करें, यह न भारत की जनता के आचरण के योग्य था न ही सरकार के। एन्डरसन की गिरफ्तारी भारत के लिए एक कलंक होती। आज भी भाजपा अपने उस गलत आचरण के परिपालन में एन्डरसन को घसीट रही है।

मैं नहीं समझता कि सुषमा स्वराज, वसुन्धराराजे सिन्धिया, स्मृति इरानी, और पंकजा मुंडे ने क्या गलत किया है? यदि इन चारों में से किसी व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा है तो वह मामला कानून से निपटेगा और यदि इन्होंने कोई कानून न तोड़कर सिर्फ नैतिकता के सर्वोच्च मापदण्डों के विरुद्ध काम किया है तो उसका निर्णय वो खुद करेंगी अथवा चुनाव में जनता निर्णय करेगी। भाजपा यदि यह धारणा बनाकर रखना चाहे कि वह तो अति उच्च चरित्रवान लोगों का समूह है तब तो अलग बात है अन्यथा इस विषय पर इतनी सफाई या बहस क्यों? जैसा आचरण इन चारों का दिखा है उससे ज्यादा अच्छे प्रदर्शन की तो मतदाताओं ने अपेक्षा भी नहीं की थी। यह अलग बात है कि वैदिक जी ने अपने उत्तम आचरण की कसौटी पर इन चारों को असफल पाया हो, किन्तु जब वैदिक जी पाकिस्तान में किसी वांछित अपराधी के इंटरव्यू में ऐसी ही आलोचनाओं से घिर गए थे तब भी हम लोगों ने लिखकर या टीवी बहस में बोलकर उनके पक्ष का खुला बचाव किया था और वह भी मित्रता के मापदण्ड से न होकर नीतियों के मापदण्ड से था।

वैदिक जी ने अपने पूरे लेख में मोदी के चुप रहने को टार्गेट किया है? मैं उचित समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जी में यह गुण था और दिल्ली की सत्ता में आने के बाद अरविन्द केजरीवाल भी चुप रहने का महत्व समझने लगे हैं। मोदी जी को भी चुप ही रहना चाहिए। न तो अब तक कोई कानूनी अपराध सामने आया है जैसा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था या अरविन्द केजरीवाल के शिक्षा मंत्री अथवा अन्य विधायको के विषय में हुआ या हो रहा है। अरविन्द सरकार ने तो अपने अपराधी शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें तब तक मंत्री बनाए रखा जब तक उसे न्यायालय से जेल नहीं भेज दिया गया। सारे घटनाक्रम को देखने के बाद स्पष्ट हुआ कि अरविन्द केजरीवाल की पार्टी भी अन्य राजनैतिक दलों से जरा भी अलग नहीं है बल्कि आंशिक रुप से पीछे ही है। लेकिन इन चारों देवियों के विषय में सरकार या प्रधानमंत्री को अभी क्यों बोलना चाहिए? अब तक चारों के विषय में नए–नए तथ्य सामने आ रहें हैं तथा अब तक कोई कानून अथवा न्यायिक निष्कर्ष भी सामने नहीं आया है। राजनीति में उच्च मापदण्डों की जैसी अवधारणा मनमोहन, नीतीश कुमार, नरेन्द्र मोदी, बुद्धदेवभट्टाचार्य, रमण सिंह, पृथ्वीराज चौहान, शान्ताकुमार, माणिक सरकार, बाबूलाल मराण्डी, शिवराज सिंह आदि की हैं, वैसी उच्च अवधारणा इन चारों में से किसी के विषय में बनी हुई नहीं हैं। इन सबके विषय में सामान्य धारणा एक औसत राजनेता की है, किन्तु लालू प्रसाद, जयललिता, शिवू सोरेन, रामविलास पासवान, प्रकाश करात आदि यदि ऐसा करते तो शायद वैदिक जी ऐसी चर्चा भी नहीं करते। तीसरी बात परिस्थितियों की भी है। भारत में नरेन्द्र मोदी या भाजपा की अकेले की सरकार न होकर संघ और नरेन्द्र मोदी की मिली–जुली सरकार है। आचरण की देखभाल मुख्य रुप से संघ कर रहा है। संघ परिवार राजनीति में नीतियों की अपेक्षा चरित्र को ज्यादा महत्व देता है। किन्तु मेरे सरीखे बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग है जो राजनीति में नीतियों की अपेक्षा व्यक्तिगत आचरण को कम महत्व देते है। यदि आज पता चल जाए कि नरेन्द्र मोदी ने चोरी छिपे सिगरेट पी ली है तो संघ परिवार इसे बहुत गम्भीर बात समझकर राई का पहाड़ बना देगा किन्तु यदि मुझे पता चले कि नरेन्द्र मोदी ने शराब पीना भी शुरु कर दिया है तो मैं इस पहाड़ को भी राई के समान समझूँगा। स्पष्ट है कि संघ परिवार चरित्र को अधिक महत्व देता है और मैं इसे व्यक्तिगत विषय मानकर नीतियों को अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ। इन चारों के विषय में निर्णय करने में संघ की अन्देखी नहीं हो सकती। संघ ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा है जो उसे इन चारों के आचरण में गम्भीर आपत्तिजनक दिखा हो। ऐसी स्थिति में न नरेन्द्र मोदी को कोई अकेले पहल करनी चाहिए न ही किसी तटस्थ विचारक को ऐसी सलाह देनी चाहिए।

मैं वैदिक जी सहित आप सब को आश्वस्त कर दूँ कि नरेन्द्र मोदी की नीयत और नीतियों में अब तक ऐसा कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखा है जिसकी सार्वजनिक आलोचना की जा सके। एक वर्ष के शासन में नरेन्द्र मोदी सरकार ने उम्मीद से कई गुना अच्छा काम किया है। यदि किसी परिस्थिति में कोई मजबूरी हो तो उसकी समीक्षा अथवा सलाह ही पर्याप्त है। परस्पर हितों से टकराव वालों की आलोचना से उत्तेजित होकर कोई टिप्पणी करने से वैदिक जी सरीखे मोदी प्रशंसकों को बचना चाहिए।

## मीडिया की शक्ति, एक समीक्षा

मासिक, डायलॉग इन्डिया जून पंद्रह में, नूतन ठाकुर तथा अमिताभ ठाकुर ने अलग–अलग लेख लिखकर समाज को सूचना दी है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने के कारण उन दोनों, जो पति–पत्नी हैं तथा पति वर्तमान में आई.पी.एस अधिकारी हैं, की जान को खतरा है। दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान छेड़ रखा है। दोनों ने अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहा किन्तु उन्हें समय नहीं दिया गया। यहा तक कि दोनो ने मिलकर मुख्य मंत्री के पिता मुलायम सिंह के विरूद्ध भी थाने मे भी शिकायत की। दूसरी ओर श्री प्रजापति के इशारे पर अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध बलात्कार तक के झूठे आरोप लगाए गए।

कुछ ही दिनों पूर्व उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार को जलाकर मारने का संगीन आरोप उत्तर प्रदेश के एक मंत्री पर लगा। वहॉ भी पत्रकार उस मंत्री के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए था। वहॉ भी पत्रकार के विरुद्ध सच्चे या झूठे अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। मध्यप्रदेश में भी भ्रष्टाचार को उजागार कर रहे एक पत्रकार की हत्या हो गई। यदि पूरे भारत का वर्ष भर का ऑकलन करें तो राजनेताओं अपराधियों का गठजोड़ उजागर करने में दस–बीस पत्रकार या तो मारे जा चुके हैं या गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। छोटे–छोटे मीडिया कर्मियों की गिनती तो हजारों में है।

पिछले दिनों सूचना के अधिकार के अन्तर्गत जानकारी लेकर नेताओं अपराधियों की पोल खोलने वाले सामाजिक कार्यकताओं पर भी ऐसे ही आक्रमण हो चुके हैं। ऐसे आक्रमणों में वर्ष भर में आठ–दस लोग तो मारे जा ही चुके हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं पर भी अनेक आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए गए हैं। छोटे–मोटे टकराव तो पूरे देश में ही हो रहे हैं। ऐसी सामाजिक सक्रियता में लगे लोगों को भी सुरक्षा चाहिए।

पिछले दिनों राजनेता अपराधी गठजोड़ में बाधा बने अनेक पत्रकार, एन.जी.ओ. कर्मी, सूचनाधिकार सक्रिय समाज सेवी, हिंसक प्रताड़ना के शिकार हुए यह सच है। पूरे देश में यह भी प्रमाणित हो चुका है कि ऐसे गठजोड़ में बाधक लोगों पर हिंसक आक्रमण में किसी न किसी रुप में कार्यपालिका की मशीनरी का भी सहयोग रहता है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि मीडिया लोकतन्त्र का चौथा स्तंभ होता है। तो प्रश्न उठता है कि लोकतन्त्र के तीन स्तंभ भ्रष्ट हैं, अपराधियों के साथ तालमेल है तो चौथा स्तंभ लोकतन्त्र के तीन स्तंभों के साथ जुड़ने के लिए इतना लालायित क्यों है? मीडिया लोकतन्त्र के इन भ्रष्ट स्तंभों के साथ जुड़ने की अपेक्षा स्वतन्त्र रुप से अपनी पहचान बनाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या मीडिया भी उन्हीं के समान भ्रष्ट या आपराधिक गॅठजोड़ का इच्छुक है? जब स्पष्ट दिख रहा है कि लोकतंत्र की वर्तमान प्रणाली विपरीत परिणाम दे रही है, साठ वर्षो में न्यायपालिका भी आंशिक रुप से इसी का हिस्सा बनती जा रही है तो आप उसी व्यवस्था से अपनी सुरक्षा की उम्मीद कर रहे या गुहार लगा रहे हैं जिनके विरुद्ध आप आवाज उठा रहें है तो ऐसा दिखता है कि आप या तो कोई धुर्तता कर रहे हैं या मूर्खता। जब व्यवस्था के दो अंग विधायिका और कार्यपालिका अपराधियों के साथ मिलकर आपके पुण्य कार्य में बाधा पैदा कर रहें हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वे आपको सुरक्षा देंगे।

यदि हम लगातार बढ़ रहे ऐसे टकरावों के कारणों पर विचार करें यह पुराना अनुभव बताता है कि जिस वर्ग विशेष को कुछ विशेष सम्मान, शक्ति या अधिकार मिल जाता है उस वर्ग में ही व्यावसायिक, आपराधिकर प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश बढ़ जाता है तथा ऐसे व्यावयायिक आपराधिक लोगों में हितों का टकराव शुरु हो जाता है। मैं नूतन ठाकुर तथा अमिताभ ठाकुर के उदाहरण से ही विवेचना करता हूँ। पहला प्रश्न यह है कि आपने जो कार्य प्रारम्भ किया उसके लिए आपको व्यवस्था ने दायित्व दिया या आपका व्यक्तिगत निर्णय है। दूसरी बात यह भी है कि आपने भ्रष्टाचार अथवा नेता अपराधी गठजोड़ के विरुद्ध उन्हीं नेताओं से क्या उम्मीद पाल रखी है? तीसरी बात यह है कि आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते–लड़ते किसी एक ही व्यक्ति के भ्रष्टाचार तक स्वयं को क्यों सीमित कर लेते हैं। चौथी बात यह है कि आपका जो मुख्य दायित्व है उस दायित्व को पूरा करने में आपका यह अभियान बाधक तो नही है? इनके उत्तर खोजने के बाद ही आपकी नीयत पर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

मीडिया के विषय में मेरा भी एक व्यक्तिगत अनुभव है। तीस–चालीस वर्ष पूर्व एक स्थानीय पाक्षिक पत्र के पत्रकार ने मुझसे पैसे मॉगे जो मैंने नहीं दिए। उसने मेरे विरुद्ध कुछ भी लिखना शुरु किया जिसकी मैंने कोई परवाह नहीं की। पूरे सरगुजा जिले के पत्रकार एकजुट हो गए फिर भी मैंने न पैसे दिए न परवाह की। सरगुजा जिले के सभी मीडिया कर्मियों ने करीब चालीस वर्ष तक मेरे विरुद्ध अभियान चलाया। न मैंने पैसे दिए न ही कोई परवाह की।

अन्त में हार थक कर वे बैठ गए। पत्रकारों के तर्क में दम था कि आप यदि गैर कानूनी काम करते हैं तो आपको हमारा भी ख्याल रखना पडेगा। मैं स्पष्ट था कि मैं दो नम्बर के कार्य के लिए अधिकारियों नेताओं का तो ख्याल करुँगा जिनके पास कुछ अधिकार है किन्तु मीडिया न तो मुझे कोई सुरक्षा दे सकता है न बिगाड़ सकता है तो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूँ? मैं आश्वस्त था कि मैं कोई तीन नम्बर का काम तो करता नहीं कि मेरी बदनामी होगी और दो नम्बर के काम से कभी कोई बदनामी होती नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक नम्बर का होगा तभी वह मेरे ऊपर उँगली उठा सकता है। सरकारी कर्मचारी तो मेरे साथ है ही।

यदि भारत में लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के काम में जुड़े लोगों के कार्यों का गुप्त सर्वेक्षण किया जाए तो सरकारी कर्मचारी और राजनेताओं में भ्रष्ट लोगों का जो प्रतिशत होगा उससे ज्यादा ही प्रतिशत मीडिया कर्मियों का होगा। इन सबका एक गिरोह बन जाता है। यदि आपके शरीर पर कहीं भी घाव दिखा तो मक्खियों का झुंड जिस तरह टूट पड़ता है, वह स्थिति आपकी हो जाती है। मैं इन सबसे दूर रहकर सिर्फ देखता ही रहता हूँ। पूरा देश जानता है कि एक टी.बी. चैनल ने एक भ्रष्टाचार का मामला अपने चैनल पर न दिखाने के लिए सौ करोड़ का सौदा किया था। अनेक टी.बी. चैनल स्वयं स्टिंग नहीं करते बल्कि कुछ पेशेवर लोग स्टिंग करते हैं, जिसे ये चैनल सस्ते में खरीद लेते हैं। इन स्टिंगों के आधार पर पहले तो ब्लैक मेलिंग होती है और बाद में निन्यान्नवे प्रतिशत घटनाओं का रस निचोड़ कर एक दो को प्रसारित कर दिया जाता है।

आज तक यह पता करने की कोई मशीन नहीं बनी जो बता सके कि कौन मीडिया कर्मी समाज सेवा के उद्देश्य से यह काम कर रहा है और कौन ब्लैक मेलिंग के उद्देश्य से अपना न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने के काम में लगा है। अनेक लोग प्रारम्भ में तो बड़े तीस मार खां दिखते है, किन्तु अपना न्यूसेंस वैल्यू बढ़ते ही अपनी वास्तविकता पर आ जाते हैं। अभी–अभी हमने मीडिया की ताकत देखी है। अरविन्द केजरीवाल ने बहुत हिम्मत करके मीडिया को उसकी औकात बताने की कोशिश की थी। एक सप्ताह में ही मीडिया ने अपनी औकात बता दी। अरविन्द केजरीवाल जी को अहसास हुआ कि दांव उल्टा पड़ गया। जहॉ बड़े–बड़े ऊँट बहे जा रहे हों वहॉ गदहा पानी की थाह लगा रहा है। जिस मीडिया को नरेन्द्र मोदी औकात नहीं बता पा रहे उसे एक केन्द्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या चुनौती देगा। अरविन्द सरकार ने तुरन्त ही पच्चीस करोड़ का बजट बीस गुना बढ़ाकर पॉच सौ पच्चीस करोड़ का कर दिया। अब देखिये मीडिया की भाषा बिल्कुल ही बदल गई। अब अरविन्द जी का गिरता हुआ ग्राफ ऊपर उठना शुरु हो गया। कुछ दिनो पूर्व ही उत्तर प्रदेश में एक तथाकथित पत्रकार की संदेहास्पद आत्महत्या के परिणामस्वरुप वहॉ के मुख्यमंत्री ने तीस लाख रुपये की सहायता की। आज ही व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाला की पूछताछ के लिए दिल्ली से गए पत्रकार का झाबुआ में हार्टफेल हो जाता है तो उसकी अंत्येष्टि में दिल्ली के मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री राहुल गॉधी सहित अनेक बड़े नेता शामिल होते है। एक केन्द्रिय मंत्री को हवाई जहाज से जाने की सुविधा के लिए तीन यात्रियो को दुसरे जहाज से भेजने की व्यवस्था होती है तो सारा मीडिया चिल्लाने लगता है कि समानता के सिद्धान्त के विरूद्ध कार्य हो रहा है। दूसरी ओर एक पत्रकार की हार्ट अटैक से भी मृत्यु हो जाए या आत्म हत्या भी कर ले तो समानता का सिद्धान्त छोडकर सारा मीडिया और मीडिया से भयभीत राजनेता बडी से बडी जांच करने का आदेश या संस्तुति करते है। स्पष्ट है कि लोकतंत्र के दोनों स्तम्भ विधायिका और कार्यपालिका संगठित मीडिया का महत्व समझते हैं तथा उससे भूत की तरह डरते हैं। स्पष्ट है कि मीडिया की लोकतन्त्र के अन्य स्तंभों से इस बात की लड़ाई दिखती है कि सारा माल–मलाई आप अकेले नहीं खा सकते क्योंकि हम भी लोकतन्त्र के चौथे स्तंभ है। हमारा भी उचित हिस्सा तो होना ही चाहिए।

यह स्पष्ट है कि मीडिया का निन्यानवे प्रतिशत ढांचा व्यवसाय के रुप में है। अपवाद स्वरुप ही कुछ लोग अब भी इसे सामाजिक कार्य समझकर इसकी पवित्रता के साथ जुडे हैं किन्तु ऐसे पवित्र लोगों की संख्या लगातार घट रही है। एक ओर तो मीडिया स्वयं को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहकर उसे मुखौटे के रुप में प्रयोग करता है तो दूसरी ओर अन्दर खाने उसे यह भी संतोष है कि जब लोकतंत्र के तीन स्तंभ अपने काम को व्यवसाय कहे जाने पर शर्म महसूस नहीं करते तब हम यदि शुद्ध व्यवसाय करते हुए अपने को लोकतन्त्र का चौथा स्तंभ कहने लगे तो उसमें गलत क्या है। लोकतंत्र के तीन स्तंभ तो आम जनता से भारी भरकम वेतन भी लेते हैं और फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा तो हम मीडिया वाले तो अवैतनिक हैं। हमारा तो पूरा खर्च इसी पर चलता है। मेरे विचार में मीडिया के इस तर्क में दम है।

दूसरी ओर यदि हम सामान्य लोगों के तर्को पर विचार करें तो वह बात भी कमजोर नहीं है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका से जुडे लोगों के पास कुछ ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं जिनका दुरुपयोग करके वे उस पद का फायदा उठा सकते हैं किन्तु मीडिया कर्मियों को ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार तो है नहीं जिसका दुरुपयोग करके वे ब्लैकमेल कर सकें या उपयोग करके किसी की सुरक्षा कर सकें। मीडिया कर्मी से आम लोग इसलिए डरते हैं कि यदि वह हमारी किसी कमजोरी का हल्ला कर देगा तो एक ओर तो हमारी बदनामी होगी दूसरी ओर मीडिया वालों के डर से नेता और अफसर पूरी तरह भयभीत रहते है। तो हम बेमतलब क्यों आफत मोल लें?

दोनों ही तर्को मे दम है किन्तु एक बात पूरी तरह निर्विवाद है कि मीडिया पूरी तरह एक व्यवसाय है तथा नेता अपराधी गठजोड़ से मीडिया, आर.टी.आई. सक्रिय लोग एन.जी.ओ. आदि से हो रहा हिंसक टकराव व्यावयायिक प्रतिस्पर्धा से अधिक बढ़कर कोई भिन्न समस्या नहीं हैं। लूट के माल में यदि छीना–झपटी हो और उसमें किसी की

हत्या हो जावे तो इसमें समाज का क्या दोष? किसी एक ही व्यक्ति के अवैध व्यवसाय को लक्ष्य बनाकर आप उसके पीछे पड़ जावें और आपका उद्देश्य अपना न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाना ही हो तो फिर हिसंक आक्रमण का खतरा कौन झेलेगा? यदि शक्ति किसी एक जगह केन्द्रित होगी तो धूर्त लोग ऐसी शक्ति का ज्यादा दुरुपयोग कर सकते हैं चाहे वह शक्ति विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पास इकट्ठी हो अथवा मीडिया के पास। ये सब टकराव शक्ति के केन्द्रीयकरण के परिणाम हैं, कारण नहीं। यदि अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो परिणामों पर चोट करने की अपेक्षा कारणों पर चोट करनी होगी अर्थात् गन्दगी की सफाई करने की अपेक्षा गन्दा करने वालों पर नियन्त्रण का अधिक प्रयास करना होगा। और यदि आप भी बहती गंगा में हाथ धोने की फिराक में हैं तो यह आपका और दूसरे पक्ष का व्यावसायिक विवाद मात्र है, कोई सामाजिक समस्या नहीं।यदि मुलायम सिंह से टकराव के कारण आपकी हत्या हो जाती है तो आप शहीद का सम्मान तो पा सकते है किन्तु भ्रष्टाचार पर इसका कोई प्रभाव नही पडेगा। गंभीरता पूर्वक विचार करिए। यदि अनावश्यक कानूनों को हटा दिया जाए, राज्य अपने अधिकारों को परिवार, गॉव, जिले तक बॉटकर सीमित कर ले, मीडिया के लोग अपना रोब जमाने के उद्देश्य से लोकतन्त्र का चौथा स्तंभ मानना और कहना बंद कर दे तो मैं आश्वस्त हूँ कि इस प्रकार के हितों का हिंसक टकराव भी स्वयं ही समाप्त हो सकता हैं।

## लालकृष्ण आडवाणी और आपातकाल

भारत ने स्वतन्त्रता के बाद पिछले वर्ष तक लोकतन्त्र तथा बीच के डेढ़ वर्ष इन्दिरा काल में आपातकाल देखा। भारत को दोनों का अनुभव है। लोकतन्त्र के नाम पर एक खान्दानी नेतृत्व में एक छोटे से गिरोह के ही शासन को आज तक लोकतन्त्र कहा गया क्योंकि उस गिरोह के विकल्प के रुप में खड़ा विपक्ष सिर्फ सत्ता लोलुप व्यक्तियों का समूह था जिसमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता था जो प्रधानमंत्री पद को अपना स्वाभाविक अधिकार न समझकर जनता की अमानत समझे। एक मात्र मोरार जी भाई तथा अटल जी विपक्ष के ऐसे व्यक्ति दिखे जो अपने पद को जनता की अमानत समझते थे। मोरार जी भाई ऐसे ही पदलोलुप चरण सिंह के शिकार बने तथा अटल जी को आडवाणी जी ने कभी ठीक से काम नहीं करने दिया। आगरा में मुसर्रफ तथा अटल जी के बीच सम्पन्न कश्मीर समझौते को आडवाणी जी के वीटो ने ही पारित नहीं होने दिया। उस समय आडवाणी जी संघ के साथ तालमेल कर रहे थे तथा अटल जी कुछ स्वतन्त्र रुख रखते थे। गुजरात में अटल जी ने मुस्लिम नरसंहार के लिए मोदी जी को सलाह देनी चाही तो आडवाणी जी मोदी जी के पक्ष में डटकर खड़े हो गए। मंदिर जैसे मुद्दे पर भी अटल जी की सोच में आडवाणी जी अपनी सोच घुसाते रहते थे।

आडवाणी जी का पूरा कार्यकाल एक पद लोलुप राजनेता का रहा है। उनका न कोई स्थिर सिद्धान्त रहा है न ही विचारधारा। पदलोलुपता के लिए इधर या उधर तिकड़म करना उनका मुख्य ध्येय रहा है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी राजनैतिक पद को जनता की अमानत नहीं माना। उन्होंने हमेशा ही अपने परिश्रम, योग्यता, सक्रियता का ऑकलन करके राजनैतिक पद को अपना अधिकार माना जो उन्हें न मिलना उनके साथ अन्याय होगा। मोदी की दावेदारी के समय भी उन्होंने अन्त तक वेशर्म नाटक किया और आज भी उनकी यह भूख मिटी नहीं है। उन्हें हार थक कर राष्ट्रपति बनने की उम्मीद में चुप कराया गया किन्तु नरेन्द्र मोदी की बढ़ती एकपक्षीय लोकप्रियता को देखकर उन्हें शक होने लगा कि उनके लिए तो यह पद भी आसान नहीं दिखता। हार–थक कर उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए वर्तमान काल आपातकाल से कम नहीं। अपने सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन में उन्होंने देश या समाज के लिए एक भी काम किया हो तो कोई बतावे। उन्होंने जो भी किया उन सबके पीछे उनका राजनैतिक स्वार्थ छिपा था। जैन डायरी में उनका नाम था जो तकनीकी आधार पर न्यायालय से निर्दोष सिद्ध हुए थे। वे सर्वोच्च पद पर जाने की तिकड़म करते ही रहेंगे चाहे वह पद सत्ता की मद्द से मिले या विपक्ष की मद्द से। अब देश की जनता से तो वे कोई सर्वोच्च पद नहीं पा सके, ईश्वर चाहे तो उनकी इस इच्छा को शान्त कर सकता है।

## (1/1) रामकृष्ण जाखेटिया, जयपुर ज्ञानतत्व–50865

प्रश्नः— यू.एन.ओ. के एक विशेषज्ञ के अनुसार भारत में अगले 30 वर्षो में हिन्दुओं की आबादी घट कर मुसलमानों के बराबर हो जाएगी। विश्व में मुसलमानों के 46 देश तथा, इसाईयों के 80 देश हैं। किन्तु हिन्दुओं का एक ही देश है। इसके बाद भी, भारत में हिन्दुओं का बहुमत होते हुए भी, इनकी संख्या घट रही है और मुसलमानों की बढ़ रही है। आखिर हमारे देश की सरकार इसके प्रति चिन्तित क्यों नही है? मेरे विचार से वर्तमान सरकार रहने योग्य नहीं है। शंकराचार्य आदि तथा मोहन भागवत, साध्वी प्रज्ञा, साक्षी महराज आदि के साथ बैठकर कोई योजना बनावें। अयोध्या का मंदिर हर हाल में बनना चाहिए।

## (1/2) अमर सिंह आर्य, महेशनगर, जयपुर ज्ञानतत्व–50804

प्रश्नः– आपके विचार ज्ञानतत्व के माध्यम से पढ़ता रहता हूँ। मुझे महसूस होता है कि भारत का मीडिया गलत रास्ते पर है। यदि भारत का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर कुछ सलाह लें तो इसमें क्यों तो राहुल गॉधी को कष्ट होना चाहिए और क्यों मीडिया को। मैं देख रहा हूँ कि मीडिया मौलिक अधिकारों की दुहाई देकर मांस खाना, न खाना विषय पर अनावश्यक बहस कराता है। मान्साहार वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक इस पर भी आपके विचार आने चाहिए। मैने सुना है कि गंगा के किनारे, खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि पैदा करने वालों को एक केन्द्रियमंत्री ने, जिनका घर गंगा किनारें है, उन्होंने यह कहकर खेती बंद करवा दी कि खेती में छींटे गए जहरीले रसायन से गंगा का जल गंदा हो रहा है। मैं जानता हूँ कि हम इस वैज्ञानिक युग में जैविक खेती की ओर बढ़ रहे है। आज पंचगव्य औषधियॉ, गौमुत्र से बनती है, तम्बाकू, नीमतेल, लहसुन, तुलसी दल, एप्साइटी नीबोली, आकड़ा का दूध, कैस्टर ऑयल से बनी कीटनाशक औषधियॉ बाजार में उपलब्ध हैं जो मानव स्वास्थ्य, भूमि और जल को प्रदूषित नहीं करते। पर्यावरण विदों राजस्व अधिकारियों को लकीर का फकीर न बन इनकी मौखिक जानकारी हासिल करना चाहिए और किसी भी राज्य में नदियों के किनारे कृषि विभागों से सम्पर्क कर ऐसी खेती को बढ़ावा दे देश की मदद करें, लोगों को बेरोजगार होने से बचाए। ऐसे किसानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यदि आप सम्पर्क के लिए तैयार हैं तो मेरे फोन पर सम्पर्क करें। मैं आपके बताए स्थान पर पहुॅचकर यथा योग्य सहयोग का प्रयास करुॅगा।

## (1/3) श्री एस.बी.शर्मा, रामराज्य परिषद, दिल्ली

प्रश्नः– मैंने श्री नरेन्द्र मोदी सहित कुछ लोगों को यह पत्र भेजा है कि गकार वर्ण ग अक्षर के अन्तर्गत श्री गंगाजी, श्री गीता जी, श्री गायत्री जी, श्री गुरुजी व श्री गौमाता जी ये पॉच सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति के मुख्य स्तम्भ हैं। श्री गायत्री जी एवं श्री गुरुजी पूजा, सम्मान व आराधना देव हैं।

अन्य के सम्बन्ध में तथ्य निम्न हैः–

(1) श्री गंगाः– भारत में श्री गंगा जी करोडों वर्षो से अमृतस्वरुप जल को लेकर अनवरत बहकर मानव के लोक परलोक का कल्याण कर रही है। दुर्भाग्यवश कई दशकों से मॉ गंगा की अविरलता व निर्मलता को हम मानवों व सरकारों ने पूरी तरह से बाधित कर दिया है। मॉ गंगा नागरिकों को बगैर जाति व धर्म के भेदभाव से पीने का पानी, खेती को सिंचाई का पानी व जलवायु को निर्मल करने का मुख्य साधन है। अरबों–खरबों रुपये के व्यय के बावजूद भी गंगा में अरबों लीटर मलमूत्र, जहरीला घोल व कचड़ा नित्यप्रति नालों, टेनरियों व कारखानों के माध्यम से गंगा को विषाक्त बना रहा है। इस समय भी जो उपाय या नीतियॉ बन रही हैं, मेरे मतानुसार उससे भी गंगा की अविरलता व निर्मलता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह की नीतियों से तो सैकडों वर्ष आगे भी गंगा की अविरलता और निर्मलता बाधित ही रहेगी। दिनॉक 08.11.2008 को श्री गंगाजी राष्ट्रीय नदी घोषित हुई किन्तु कोई भी लाभ नहीं। सख्त कानून बनाकर मॉ गंगा को राष्ट्रध्वज के समान सम्मान देने की आवश्यकता है।

(2) श्री गौमाता परम पवित्र व कामधेनु है। इसके रोम–रोम में तीर्थों का वास है। इसका दूध व दूध से बने पदार्थ अमृतमयी है। इनके सेवन से सतोगुणीवृती व कुशाग्र बुद्धि होती है। शरीर नीरोग होता है। मानव कल्याण होता है। श्री गौमाता ( देशी नस्ल) एक पूजनीय व कामधेनु के समान है। अतः इसका संरक्षण व संवर्धन अत्यावश्यक है। किन्तु इसकी दुर्दशा है। दुर्भाग्यवश व भोग प्रवृत्तिवश गौमाता का हमारे देश में रोज लाखों की संख्या में हत्या हो रहा है जो भारतीयों पर बड़ा भारी कलंक है। अविलम्ब सख्त कानून बनाकर इसका हत्या रोका जाए। 1857 में अन्तिम मुगल शासक बहादुरशाह जफर ने गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर सख्त दण्ड का प्रावधान किया था। जब तक गौमाता का कत्ल नहीं रुकता तब तक भारत में पूरी खुशहाली नहीं आ सकती। अतः गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करें।

यह भी विचार करें कि सरकार तत्काल तम्बाकू, गुटका आदि पर भी रोक लगावें। बालको का भी कल्याण करें, अतिक्रमण रोके, बिजली चोरी रोके, आतिशबाजी आदि बुराइयॉ भी रोके। अतः सामाधान उपरोक्त के संरक्षण व संरक्षण हेतु सहमति के आधार पर अविलम्ब कानून बनाकर राष्ट्रकल्याण में अपना प्रभावी सहयोग करें।

इन सब विषयों पर आपकी टिप्पणी चाहिए।

## (1/4) श्री इन्द्रदेव, गुलाटी, वीर सावरकर, पुस्तकालय, बुलंदशहर, ज्ञानतत्व–8407

(1) वीर सावरकर तथा नाथूराम गोडसे, देश के विभाजन के प्रबल विरोधी थे। दोनों की राय थी कि खंडित भारत में मुस्लिमों इसाई–फारसी–यहूदियों, गैर हिन्दू को वोट का अधिकार कतई नहीं दिया जाए क्योंकि ये विभाजन के दोषी हैं।

(2) पाकिस्तान ने भारत को 275 करोड़ रु नहीं दिए जबकि हिन्दू विरोधी गॉधी ने भारत सरकार पर दबाव डालकर 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलवा दिए।

(3) नेहरु पटेल को पता लग गया था कि गॉधी की हत्या होने वाली है। वे चाहते थे कि हत्या हो जाए ताकि लोगों की सहानुभूति गॉधी को मिले।

(4) 1945–46 के चुनावों में 93 प्रतिशत मुस्लिमों के वोट मुस्लिम लीग को मिले और 16 प्रतिशत हिन्दुओं के वोट हिन्दू महासभा को मिले। इससे स्पष्ट है कि 93 प्रतिशत मुस्लिम और 16 प्रतिशत हिन्दू कट्टरवादी हैं।

(5) हमारा कार्य सावरकरवादी विचारधारा का प्रचार– प्रसार करना है। फल की हमें कोई चिन्ता नहीं है।

**उत्तरः**—आप सब लोगों के प्रश्न एक दूसरे से मिलते–जुलते है। ऐसा लगता है कि आप लोग वर्तमान बिगड़ी हुई स्थिति का कोई समाधान न देकर उससे मात्र लभान्वित होना चाहते है और यह भी चाहते हैं कि समाज इस चिन्ता में पड़ा रहे और आपकी प्रशंसा करता रहे। आपके प्रश्नों में कोई विचार नहीं छिपा है, कोई समाधान नहीं छिपा है, न ही छिपी है कोई सलाह। केवल एक ही बात है कि भावनात्मक उबाल पैदा करके भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण कराया जाए। आप जैसे लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि यदि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण होकर कोई सीधा टकराव हुआ तो दुनिया में हिन्दुत्व का नाम लेवा भी नहीं मिलेगा। वर्तमान में विश्व के शक्ति सन्तुलन में इसाईयों और मुसलमानों के बीच हिन्दुओं की एक छोटी ताकत है। बुद्धिमानी इस बात में है कि हिन्दू दोनों के बीच अपनी क्षमता को देखकर बात करें, मूर्खता पूर्ण तरीके से आवश्यकता से अधिक डींग हॉकने वाला सफल तो कभी होगा ही नहीं बल्कि बीच में पिस भी सकता है। मैनें पिछले अंक में इन सब विषयों पर विस्तार से लिखा है कि गाय गंगा मंदिर अगर बचा भी लिए गए तो हिन्दुत्व पर कोई सुरक्षात्मक कवच नही बन सकेगा। किन्तु यदि संख्या बल में हिन्दू मजबूत रहा तो गाय, गंगा, मंदिर, सरीखे सबकी सुरक्षा हो जाएगी। मैं नही समझता कि आपके विचार विश्व में भारत से बाहर रहने वाले हिन्दुओं के लिए कितने घातक होंगे? दुनिया में मुसलमान आपस में कट–मर रहे है। यह इसलिए संभव है क्योंकि आप जैसे लोग महत्वहीन हैं। अगर आप जैसे लोग, मोहन भागवत, साक्षी महराज, उमाभारती, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों की बात भारत सुन ले और दुनिया को पता चल जाए कि भारत का हिन्दू आप जैसे लोगों के प्रभाव में आ रहा है, तो वे कब अपना झगड़ा बंद करके एक हो जायेंगे यह आपको कल्पना भी नहीं है। आपने मोदी जी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मोदी जी तम्बाकू, गुटका रोके। मुझे यह समझ में नहीं आया कि मोदी जी या सरकार तम्बाकू रोके या आतंकवाद? यदि सरकार को तम्बाकू रोकने में लगा दिया गया तो आप और हम क्या करेंगे? मैं ऐसे निकम्मे लोगों के साथ खड़ा नही दिखना चाहता जो स्वयं तो कुछ न करें और बाहर खड़े होकर सिर्फ भाषण बाजी करते रहें या पत्र लिखते रहें। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में आपने पूरी दुनिया नहीं तो कम से कम भारत में क्या पहल की है? आपके परिवार के लोग, आस–पास के लोग, या कम से कम जिले तक आपके विचारों का क्या प्रभाव गया है। कुछ करिये और जो आपसे होना सम्भव न हो उसके लिए दूसरे से सहायता मांगिए और सरकार को सुरक्षा और न्याय पहली आवश्यकता समझकर उसे रास्ते से मत भटकाईये। काम बहादुर बनिये बात बहादुर नहीं।

श्री गुलाटी जी के कथन में थोडी भी सच्चाई है या पूरा का पूरा झूठ है यह मुझे नही पता। मैं गुलाटी जी से तथा अन्य पाठकों से इस विषय में सच्चाई जानने का इच्छुक हूँ।

## (2) दिलीप मृदुल, उन्नाव उत्तर प्रदेश , ज्ञानतत्व–3630

प्रश्न 1 –परिवार, गॉव, जिला, प्रदेश, केन्द्र के साथ–साथ व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारों का भी वर्णन होना चाहिए।

2 –लोक संसद की अवधारणा को अधिक व्यापक बनाया जाए।

3 –सांसदों तथा विधायकों के नीति निर्माण के अधिकार उनसे वापस लिए जाए।

4 – सभी वयस्क नागरिकों मे जीवनोपयोगी वस्तुओं का समान मात्रा मे वितरण हो।

5 –सभी व्यक्तियों को न्याय–अन्याय, उचित–अनुचित, हित–अहित मे भेद करने योग्य समझ और न्यायोचित विधि से स्वावलंबी जीवन जीने की योग्यता प्रदान करने वाली शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए।

उत्तर– 1. वर्तमान समय मे भारतीय संविधान मे व्यक्ति, प्रदेश तथा केन्द्र के बीच स्पष्ट अधिकार विभाजन है तथा तीनों को विधिवत वे अधिकार प्राप्त हैं। संविधान मे गांवों के भी उन्तीस अधिकार वर्णित हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं हैं। संविधान में परिवार तथा जिले (ब्लाक) को कोई पृथक इकाई न मानकर उनके अधिकारों को भी स्पष्ट नही किया गया है तथा उन्हें प्राप्त भी नहीं हैं। गॉव, जिले के अधिकारों को संविधान घोषित करे और उन्हें मिल जावें। यदि गॉव को उन्तीस अधिकार देना संभव न हो तो जितना संभव हो उतने ही घोषित करके दे दें।

2. व्यापक का आपका आशय प्रचारित करने से है तो वह हम आप सबका काम है। किन्तु व्यापक का अर्थ अधिक अधिकार सम्मत बनाने से है तो मै उससे सहमत नहीं हूॅ।

3. यदि सांसदो, विधायको से नीति निर्माण के अधिकार वापस लेंगे तो प्रश्न उठता है कि नीति निर्माण का काम किसे देंगे। यदि लोक संसद को देंगे तो फिर वर्तमान संसद क्या काम करेगी?

4. जब हम परिवार संसद, ग्राम संसद की अवधारणा पर काम कर रहे हैं तो सभी व्यक्तियों को जीवनोपयोगी वस्तुओ का समान वितरण करने की व्यवस्था परिवार या गॉव करे। समानता या स्वतन्त्रता में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है यह निश्चित करने की आवश्यकता है। वामपंथी विचारकों को स्वतन्त्रता का अपहरण करने के उद्देश्य से आर्थिक समानता का नारा देना बहुत अच्छा लगा। यह नारा ही उन्हें अर्थात नारा लगाने वालों को शासन के ज्यादा निकट ले गया और शेष समाज को शासित बना दिया। समानता का अर्थ सिर्फ आर्थिक असमानता तक सीमित न रहकर असमान स्वतन्त्रता के साथ जुडना चाहिए। स्वतन्त्रता की असीमित असमानता, आर्थिक असमानता की अपेक्षा अधिक घातक होती है। भूख और गुलामी के बीच गुलाम बनाने की इच्छा रखने वाले भूख को लालच के रूप मे प्रस्तुत करके गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं। समानता की वास्तविक परिभाषा यह है ''किसी स्थापित व्यवस्था द्वारा घोषित आर्थिक स्तर से नीचे जीवन जीने वालो को समान सुविधा तथा उससे ऊपर जीवन जीने वालों को समान स्वतंत्रता''। इस परिभाषा को आधार बनाना चाहिए।

5. लगता है कि आपने शिक्षा और ज्ञान का अंतर नही समझा। आपने जो कुछ कहा है वे ज्ञान के विषय हैं जो 1 जन्म पूर्व के संस्कार 2 पारिवारिक वातावरण तथा 3 सामाजिक परिवेश से ही मिल सकतें है। शिक्षा की ज्ञान मे कभी कोई भूमिका नहीं है। शिक्षा सिर्फ आपकी क्षमता का विकास करती है। पारिवारिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था के छिन्न–भिन्न होने से व्यक्ति का ज्ञान तो घटता चला गया और शिक्षा बढती चली गई। स्वतन्त्रता के बाद हुए भौतिक विकास के बाद भी नैतिक पतन के बढने का यही एक कारण है। शिक्षा में विस्तार या शिक्षा मे सुधार की बात कहने का एक फैशन सा चल पडा है। हर अक्षम व्यक्ति स्वयं कुछ करने की अपेक्षा यह नारा लगाकर अपने दायित्व से भागने का प्रयास करता है। हम ऐसे पलायन से बचें।

## 3 श्री आकर पटेल, बी सी सी संवाद दाता

विचार –समाचार है कि तीन महीने पहले जब प्रधानमंत्री ने सब्सिडी छोड़ने का नारा दिया, तबसे लेकर अबतक केवल 0.35 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही असल में सब्सिडी छोड़ी है। लगभग 15 करोड़ उपभोक्ताओं में से केवल छह लाख लोगों ने स्वेच्छा से बाजार मूल्य पर गैस खरीदना स्वीकार किया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीती जनवरी से ही भारतीय मध्यवर्ग से पूरी कीमत में गैस खरीदने की अपील कर रहे हैं ताकि यह पैसा केवल गरीबों तक पहुंचे। सरकार

एक सिलेंडर पर 207 रुपये का नुकसान उठाती है जबकि कुल सब्सिडी 40,000 करोड़ रुपए है। इसलिए अपना योगदान देने के लिए मध्यवर्ग के लिए यह एक आसान तरीका है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हो पाई है। यहां तक कि संसद और विधानसभाओं के सदस्यों तक ने सब्सिडी छोड़ने के फार्म पर दस्तखत नहीं किया है. ऐसा क्यों है?
मेरी समझ से इसके दो कारण हैं। सबसे छोटा कारण यह है कि सरकार खुद उपभोक्ताओं की डीरजिस्टर होने की प्रक्रिया को मुश्किल बनाती है, जैसा मेरे साथ हुआ। गैस बुक करना बहुत आसान है क्योंकि सिस्टम उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर को पहचानता है। इसलिए डीरजिस्टर की प्रक्रिया भी बुकिंग जैसी आसान होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम होने की जगह ढेरों फार्म और लाइनें हैं।
हालांकि सब्सिडी से नाम हटाने के लिए एक वेबसाइट है और मैं वहां भी गया लेकिन यह इस तरह डिजाइन की गई है कि मुझे डीरजिस्टर करने का खास विकल्प नहीं मिला। इसलिए यदि मंत्री शिकायत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की योजना फ्लॉप है तो उन्हें भी इसकी कुछ जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए.
सबसे बड़ा कारण तो अपने हिस्से का भुगतान करने में भारतीय नागरिकों की अरुचि है, खासकर मध्यवर्ग में।
केवल लगभग तीन प्रतिशत भारतीय किसी भी तरह का आयकर भरते हैं और इनमें भी ज्यादातर वे लोग हैं जो नौकरी करते हैं और जिनका टैक्स काट लिया जाता है.
मैं अक्सर इसे चोरों का देश कहता हूँ, जो अपनी सरकार से ही चोरी करते हैं। स्वाभाविक रूप से हम खुद को सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं और 'ऐ मेरे प्यारे वतन' या इसी तरह का कोई राष्ट्रीय गीत जब बजता है तो आंसू बहाने लगते हैं. लेकिन हममें से अधिकांश लोग बस इसी हदतक अपनी देशभक्ति दिखाएंगे।
यह ऐसा उदाहरण है जहां हम गरीब से पैसा चुरा रहे हैं और जहां सरकार मदद की भीख मांग रही है और हम अपने देश को नीचा दिखाते दिख रहे हैं।

**उत्तर**–आपने भारत को अक्सर चोरों का देश कहा है क्योंकि यहां के अधिकांश लोग सरकार से टैक्स चोरी करते हैं। आपने देश, राष्ट्र सरकार और नागरिक कर्तव्यों की परीक्षा मे फेल होने पर इसे चोरो का देश कहा किन्तु यह भूल गए कि भारत की सीमा के अन्तर्गत स्थापित समाज व्यवस्था में भी लगभग उतने ही लोग रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था मे ऐसे चोरो की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक भी नही है। जिन्हे आप चोर कहते हैं वे मंदिरो या धर्मशालाओं मे तो स्वेच्छा से धन देते है। वहॉ तो कभी चोरी नही करते। यहॉ तक कि भारत मे हवाला के कारोबार करने वाले भी आपस में पूरी तरह इमानदार रहते है। सम्पूर्ण भारत में सरकार से कुल मिलाकर जितनी चोरी होती होगी उसकी तुलना यदि समाज के सामाजिक कार्यो मे स्वेच्छा से किए गए खर्च से करें तो कौन आगे कौन पीछे यह कहना कठिन है। सरसठ वर्षो से तो टैक्स के नाम पर सरकारो ने लूट मचा रखी है। हमारे राष्ट्र के नागरिक सरकारों पर विश्वास ही नही करते। यदि मुझे विश्वास हो जाए कि सरकार का टैक्स फिर से इमानदारी से जनहित में लगेगा तो शायद स्थिति कुछ भिन्न होती। यदि किसी लुटेरे की गोली बंदूक के डर से दिए जाने वाले धन में से मैं कुछ अपने जूते मे छिपा लूं और बाहर जाकर दया करके किसी भिखारी को भीख दे दूँ तो मैं चोर कैसे। क्या आप नही जानते कि पचास वर्ष पूर्व भारत मे इन्कम टैक्स का रेट बढाते–बढाते पंचान्नवे प्रतिशत तक कर दिया गया था, जो काला धन बनने का आधार बना। आज भी इन्कम टैक्स आमदनी का तीस प्रतिशत तक है। ऊपर से सभी प्रकार के कृषि उत्पाद, वन उत्पाद, मकान बनाने का सामान, दवा आदि पर भी कर है। ऊपर से एक नया सेवाकर और चालू हो गया है। क्या आप नही जानते कि भारत का कोई नागरिक इस तरह से टैक्स नही देना चाहता किन्तु पुलिस सेना और कोर्ट के डर से मजबूरी मे छिपाने बचाने के बाद जो देना पडता है वही देता है। कब जनता ने आपको कहा कि आप सरकारी कर्मचारियो की अनावश्यक फौज बनावें और उसके लिए हमसे जबरदस्ती धन वसूल करें। हमारे सांसद विधायक स्वेच्छा से अपना वेतन किसी भी सीमा तक बढाने मे शर्म महसूस नही करते तो भारत की जनता टैक्स छिपाने मे क्यो शर्म महसूस करे?

मेरा सुझाव है कि भारत मे न्याय पालिका, विधायिका, कार्यपालिका के ही समान एक चौथी संवैधानिक इकाई स्वतन्त्र अर्थ पालिका बना दीजिये। अर्थ पालिका बजट बनाएगी तथा वही आय–व्यय की सीमा बनाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय समाज के विषय मे आप अपनी धारणा बदलिये।

## 4 सोनू देवरानी, फेसबुक से

**प्रश्नः**—(1)परिवार, समाज, राज्य और धर्म क्या है? इनके पारस्परिक सम्बन्ध क्या है?
(2) परिवार, समाज, राज्य और धर्म की आवश्यकता क्यों हुई जबकि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है?
(3) आपने ज्ञानतत्व के सबसे आखिरी पेज में लिखा है कि वर्तमान संसदीय लोकतंत्र में तो संसद एक जेल खाना है। जहॉ हमारा भगवान रुपी संविधान कैद है। भगवान को जेलखाने से मुक्त कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरा प्रश्न है कि एक तरफ तो आप संविधान को भगवान मानते है दूसरी तरफ आप भगवान रुपी संविधान की निंदा करते है तो आप मुझे बताइए आपकी किस बात को सच माने। आप यह भी कहते हैं कि अपने भगवान को संसद के

जेलखाने से मुक्त करना चाहिए, तो आप बताइए कि भगवान को किसी जेल में बंद किया जा सकता है क्या? वास्तव में संविधान क्या है? मेरा सुझाव है कि आप कृपया संविधान को भगवान रुपी शब्द का प्रयोग न करें।
(4) भारत के नागरिको को चाहिए कि वो सकारात्मक सोचें, रचनात्मक कार्य विचारें, आलोचना निन्दा से बचें, समीक्षा करने में स्मार्ट (दक्ष) बनें। इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है कृपया अपने विचार रखिये?

**उत्तरः**—(1) (क) परिवार, समाज व्यवस्था की पहली इकाई है। परिवार एक मूर्त संगठन है। संयुक्त सम्पत्ति तथा संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह परिवार होता हैं।
(ख) समाज व्यवस्था की अन्तिम इकाई है। समाज एक अमूर्त संगठन है। स्वयं विकसित दीर्घकालिक नियम पालन से प्रतिबद्ध व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। समाज विरोधी घोषित व्यक्तियों को छोड़कर विश्व के सभी व्यक्ति समाज के अंग होते हैं।
(ग) समाज विरोधी तत्वों से समाज की सुरक्षा का दायित्व वहन करने वाली इकाई को राज्य कहते हैं। राज्य समाज नियन्त्रित होता है। किन्तु सुरक्षा और न्याय के अतिरिक्त राज्य का कोई अन्य दायित्व नहीं है।
(घ) किसी अन्य के हित में किए जाने वाले निःस्वार्थ कार्य को धर्म कहते हैं। धर्म न किसी पूजा पद्धति से जुड़ा होता है न ही धर्म कभी संगठन बन या बना सकता है। धर्म इकाईगत कर्तव्य तक सीमित होता है।
(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और परिवार, राज्य, समाज उसके संगठन। किसी संगठन से जुड़ना न जुड़ना उसकी स्वतंत्रता है, बाध्यता नहीं।
(3) राज्य के अधिकतम तथा समाज के न्यूनतम अधिकारों की सीमाएँ निश्चित करने वाले दस्तावेज को संविधान कहते हैं। आदर्श स्थिति में संविधान निर्माण या संशोधन में राज्य की शून्य भूमिका होती है। विकृत लोकतन्त्र में संविधान निर्माण या संशोधन का अधिकार समाज और राज्य का संयुक्त रुप से होता है। तानाशाही में संविधान निमार्ण या संशोधन में समाज की भूमिका शून्य तथा राज्य की सम्पूर्ण रुप से होती है। भारतीय संविधान निर्माण या संशोधन के अधिकार संसद के पास पूर्णतः हैं। उसमें समाज की भूमिका शून्य है। इसलिए समाज द्वारा नियन्त्रित संविधान भगवान सरीखा होता है और यदि कोई समाज को धोखा देकर उसमें मनमाना संशोधन करने का अधिकार ले ले तो संविधान संसद की जेल में है और उस जेल में डाले गए संविधान में जो संशोधन किए गए हैं वे सब अवैध हैं। यदि कोई हमारे भगवान को जेल में डाल दे तो उसे हम अपना भगवान मानकर मुक्त कराने से पीछे कैसे हट सकते है।

## 5 श्री शिवदत्त जी बाघा, बांदा, उ0प्र0, ज्ञानतत्व—7880

**प्रश्नः**— लोगो के दिल और मन को पढ़ना बिल्कुल असम्भव है। किसी की जबान(स्पीच) से क्रियाकलाप से जो निकल कर आता है वही लोगों के भरोसे का आधार बनता है। यह बात जहॉ सब पर लागू होती है वही तथाकथित दलित नेता स्व0 श्री बी. आर. अम्बेडकर पर भी लागू होती है। अपने काल में उन्होंने भारतीय राजनीति व समाज में अपने संवादों व बाहरी क्रियाकलापों से खुद को दलित हितैषी दलित नेता के रुप में स्थापित करने में सफलता पायी। जबकि अन्दरुनी तौर पर श्री अम्बेड़कर घोर मनुवादी ब्राह्मणवादी थे। जिसे उन्होंने संविधान में जातिगत आरक्षण का प्रावधान करके सिद्ध भी किया। यह लोकतन्त्र के लिए वह बाधा है जो उसे अपनी पूरी तस्वीर के साथ राजनीति क्षितिज पर आने से रोकती रहेगी तथा जाति मुक्त समाज रचना तो सिर्फ एक रव्वाब ही बना रहेगा। लोकतन्त्र के बहाने आज हम फिर से जातीय हुकूमतों की ओर वापस हो रहे हैं। सब कुछ यहॉ जातियों के आधार पर ही मिल रहा है। नौकरी, शिक्षा, राजनीति सभी क्षेत्रों में जातीय समीकरण ही साधे जाते हैं। अभी बिहार विधान सभा चुनावों की समीक्षा में सभी बड़े नेताओं की जाति की ही चर्चा आती रही। यहॉ तक कहा गया कि श्री मोदी भी पिछड़ी जाति से है सो चुनावों में इसका असर अवश्य पड़ेगा। देखने समझने की बात यह है कि विचार, कार्य से बढ़कर जाति हो गयी। उसूल सिद्धान्त कैडर बेस भी जाति से ऊपर नहीं है। जाति को लेकर मैंने उत्तर प्रदेश भाजपा से दिग्गज लीडरों व आर. एस. एस कैडर बेस को छिटकते देखा है तथा एक—दूसरे की भर्त्सना नीच—कीच कहते सुना है। उस समय भाजपा में यह उथल—पुथल हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री बाजपेयी जी पर ब्राह्मणवादी होने का ठप्पा लगाकर। बाहर से लोग (राजनीति) कैसा भी स्वांग रचे समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद लेकिन दिल व मन के कोने में सबसे ऊपर बैठा है जातिवाद। हर नेता के सर पर चढ़कर बोल रहा है जातिवाद, वंशवाद। यह कमाल है डॉ0 अम्बेडकर का। अभी एक—डेढ़ साल पहले तक जो नीतीश भाजपा को लेकर सरकार चला रहे थे और वह साम्प्रदायिक भी नहीं थी क्योंकि वह नीतीश की लीडरशिप स्वीकार कर रही थी आज वह भाजपा नीतीश के लिए साम्प्रदायिक हो गई क्योंकि भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। इस चरित्र और इन बातों से यही निकल कर आ रहा है कि इस देश का नेता खुद के अहम की संतुष्टि के लिए तथा जातिवाद के लिए देशहित को लात मारकर देश को बेच सकता है। अगर इस देश की राजनीति में इस कदर जातिवाद हावी न होता तो आपके लोक स्वराज आन्दोलन को वैसा ही समर्थन मिलता जैसा भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री अन्ना हजारे को। क्योंकि भ्रष्टाचार की ही तरह लोग सिस्टम से पूरी तरह से उबे हुए हैं।

**उत्तरः**— आपने जो कुछ लिखा उससे मेरी पूरी सहमति है। मेरा सवाल आपसे सिर्फ यह है कि
लगातार बढ़ रही ग्यारह समस्याओं ''(1) चोरी, डकैती, लूट (2) बलात्कार (3) मिलावट, कमतौल (4) जालसाजी धोखा (5) हिंसा, आतंक (6) चरित्र, पतन (7) भ्रष्टाचार (8) जातीय, कटुता (9) साम्प्रदायिकता (10) आर्थिक, असमानता (11)

श्रम शोषण'' शामिल हैं। जातिवाद को ही अकेले प्राथमिक समस्या क्यों मान लें। जातिवाद को यदि एक प्रमुख समस्या मान लें तो शेष दस समस्याएँ स्वयंमेव कितने प्रतिशत घट जायेंगी। आज राजनीति ने समाज को गुलाम मानकर मतदान के अतिरिक्त सारे अधिकार अपने पास समेट लिए हैं। यहाँ तक कि संविधान संशोधन तक के असीम अधिकार। अभी–अभी ग्रीस में एक मुद्दे पर सरकार ने जनमत संग्रह कराकर निर्णय किया। क्या भारत में ऐसा कभी हुआ या होगा? जातिवाद के समाधान से संसद के संविधान संशोधन के असीम अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके उत्तर के बाद ही विचार आगे बढ़ेगा।

## 6 मुकेश कुमार ऋषिवर्मा, रिहावली, फतेहाबाद, आगरा, उ0प्र0, ज्ञानतत्व–3242

**प्रश्नः**—महोदय, नरेन्द्र मोदी ने बंगला देश को हजारों एकड़ जमीन दान दे दी और यही नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले छाती ठोक कर कहते थे कि एक इंच जमीन नहीं देंगे। मेरा मानना है कि नरेन्द्र मोदी अर्न्तराष्ट्रीय ताकतों के सामने मजबूर है अथवा विश्व प्रसिद्ध नेता बनने के लालची। महोदय, मुझे लगता है कि चीन अब अरुणांचल प्रदेश मांगेगा और पाकिस्तान कश्मीर, देखते हैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी दानवीर कर्ण बनते हैं कि वीरभगत सिंह के वंशज। बस! आप अपनी राय दे दीजिए?

इसके साथ साथ आपको मेरा एक सुझाव भी है । आपने ज्ञान तत्व 315 मे मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय अपनी शराफत की सारी हदे पार कर दी। आपने अपने उत्तर मे यह लिख दिया ''प्रश्न उठता है कि जब विदेशी निवेशक हमारी आर्थिक स्थिति का आकलन करके ही उधार या कर्ज देते हैं तब हम बाहर के लोग जो इस आंतरिक स्थिति का कखगघ भी नहीं जानते वे अपनी नींद क्यों खराब करें? तीसरी बात यह है कि अर्थ व्यवस्था के संचालन के लिये कई एजेन्सियों का चेक बैलेन्स है। ऐसी एजेन्सियों में ही एक रिजर्व बैंक भी है। इस तरह की अनेक एजेन्सियों में से किसी एक ने भी ऐसी खतरनाक आशंका व्यक्त नहीं की है। चौथी बात यह भी है कि भारत सब प्रकार के आर्थिक कर्ज के बाद भी कुछ प्रतिशत विकास कर रहा है। विकास की वृद्धि दर कम ज्यादा हो सकती है किन्तु वह शून्य या शून्य से नीचे नहीं है। मैं नहीं समझता कि आसमान सर पर गिर सकता है यह सोचकर अपनी नींद खराब करना कितनी वुद्धि मानी होगी।कुल मिलाकर भारत की अर्थ व्यवस्था की चिन्ता करने वाली कई एजेन्सियॉ हैं। आप यदि परिवार को ठीक से सम्हाल लें तो पर्याप्त है।'' आप यह बताने की कृपा करे कि मै परिवार ठीक से नही चला रहा या चला रहा हूँ इसपर आपको टिप्पणी करने का क्या अधिकार है। विद्वता के घमंड मे किसी के भी विरूद्ध कुछ भी लिख देना अच्छी बात नही है।

**उत्तरः**— यह सही है कि सरसठ वर्षो तक की सभी सरकारें तथा विपक्ष बंगला देश को दी गई जमीन को भारतीय बताते रहे तो बंगला देश के शासक इसके ठीक विपरीत बंगला देश की। भारत की सारी जनता भी नेताओं के कहे अनुसार उक्त भूमि को भारतीय माना और बंगला देश की जनता ने बंगला देश की। अब उन्हीं नेताओं ने वास्तविकता को समझकर अथवा परिस्थिति जन्य आधार पर कुछ ले देकर समझौता कर लिया। जब भारतीय नेताओं ने उक्त जमीन को अपना कहा तब तो आपने उस कहे को सच मान लिया और अब वही लोग उसे बंगला देश की मान रहे हैं तो आप पहले कहे को सच और अब के कहे को झूठ मान रहे हैं? आप उनके पूर्व कथन के अतिरिक्त कुछ जानते हैं क्या कि वह जमीन वास्तव में किसकी है? यदि उस समय भारत ने बहुत बढ़ा–चढ़ा कर दावा किया हो और अब वास्तविता पर समझौता कर लें तो क्या ऐसा होना असंभव है? पडोसियों से ठकराव के लिए वास्तविकता को आधार बनाइये नेताओं के कथन को नहीं।

साथ ही आप यह भी विचारिये कि किसी भी भूमि विवाद को युद्ध के अतिरिक्त भी अन्य किसी तरह सुलझाना उचित है या नही? यदि अटल जी के समय कश्मीर समस्या का समाधान हो गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। कश्मीर समस्या भारत और पाकिस्तान दोनों को बर्बाद कर रही है। यदि सम्मानपूर्ण तरीके से कुछ ले देकर समझौता हो जावे तो हमें अपने नेताओं की नीयत पर भरोसा करना चाहिए।

जब भी मेरे समक्ष उत्तर के लिये कोई प्रश्न आता है तो मै समझता हूँ कि प्रश्न कर्ता मुझे अधिक योग्य समझकर प्रश्न कर रहा है अथवा वह मेरे उत्तर से असंतुष्ट होकर प्रश्न कर रहा है। यदि प्रश्न किसी जानकारी के लिये किया जाता है तो उत्तर तर्क पूर्ण होता है और यदि प्रश्न आलोचना के लिये होता है तो उत्तर उसी भाषा मे दिया जाता है। आपने ज्ञानतत्व 315 मे मेरे द्वारा दिये गये उत्तर से दुखी होकर जो टिप्पणी की है उसपर मैने विचार किया। मै नही समझता था कि ऋषि वर्मा आपकी योग्यता का नाम है। मै समझता था कि आप का व्यक्तिगत नाम ऋषिवर्मा है और आप हम सब के समान ही एक सामान्य व्यक्ति है। मुझसे भूल हुई। अब भविष्य मे आपको ऋषितुल्य समझकर ही संवाद करूंगा। आप मेरी भूल के लिये क्षमा करियेगा। आप भविष्य मे प्रश्न करते समय भी ध्यान रखियेगा कि मेरी योग्यता और आपकी योग्यता मे आसमान जमीन का फर्क है और यदि भविष्य मे कही मेरा उत्तर कटु हो जाये तो आप कम से कम अपनी शालिनता मत छोडियेगा।